



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-13072020-220500  
CG-WB-E-13072020-220500

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]  
No. 259]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2020/आषाढ 22, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2020/ASADHA 22, 1942

## दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अधिसूचना

कोलकाता, 8 जुलाई, 2020

सं. 21—सीडब्ल्यूए/2020.—यथासंशोधित लागत एवं कार्य लेखा अधिनियम, 1959 की धारा 21 की उपधारा (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संस्थान की परिषद् ने दिनांक 28 जून, 2020 को आयोजित अपनी 325 वीं बैठक में श्री राजेन्द्र बोस, सयुक्त निदेशक को अनुशासन निदेशालय द्वारा प्राप्त किसी सूचना या शिकायत के संबंध में जांच करने के लिए निदेशक (अनुशासन) निर्दिष्ट किया है।

कौशिक बनर्जी, सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./116/2020-21]

### THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA NOTIFICATION

Kolkata, the 8th July, 2020

21-CWA/2020.—In pursuance of sub-section (1) of Section 21 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 as amended, it is hereby notified that the Council of the Institute at its 325th meeting held on 28th June, 2020 has designated Shri Rajendra Bose, Joint Director as Director (Discipline) for making investigations in respect of any information or complaint received by the Disciplinary Directorate.

KAUSHIK BANERJEE, Secy.  
[Advt.- III /4/Exty./116/2020-21]